न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 269/2011
प्रविष्टि दिनांक 20–9–2011

1–शिवराज पुत्र रामसहाय जाति जाट निवासी डारडाहिन्द तह0 व जिला–टोंक
2–मनफूली पुत्री सुखदेवा जाति जाट निवासी डारडाहिन्द हाल 8, जयकिशन कालोनी टोंक फाटक जयपुर।
3–सीता पुत्री सुखदेवा जाति जाट निवासी डारडाहिन्द तह0 व जिला–टोंक

.... प्रार्थीगण

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।
3–तहसीलदार टोंक जिला–टोंक

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री बसंन्त कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री रामधन सीनी, व श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 24–1–2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम उस्मानपुरा वीरान तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 247 मे 5300 वर्गमीटर, का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण किया गया है। अतः अवार्ड 1050/09 दिनांक 12.07.2010 को निरस्त कर व्यवसायिक भूमि का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर [illegible] एवं अवार्ड पत्रावली 1050/09 दिनांक 12.07.2010 तलब की गई एंव [illegible] बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना [illegible] लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित किया कि राष्ट्रीय [illegible] हेतु प्रार्थी [illegible] ख0नं0 247 कुल रकबा 5300 वर्गमीटर [illegible] वीरान मे अवाप्त [illegible] है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:03:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था,परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था,परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बा–2 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी, प्रार्थीगण की भूमि व्यवसायिक नही थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब/लिखित का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थी की भूमि ख0न0 247 मे 5300 वर्गमीटर,किस्म जमीन बा–2 वाके ग्राम उस्मानपुरा वीरान का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीगण अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा व्यवसयिक महत्व की तथा भूमि के पास व्यवसायिक परिसर होने व स्कूल संचालित होने से वर्तमान डी0एल0सी0 दर से व्यवसायिक भूमि बताकर मुआवजे का भुगतान चाहता है, किन्तु उनके द्वारा भूमि के व्यवसयिक होने के संबंध मे संपरिर्वतन आदेश तथा अन्य साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24–1–2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

आर्बिट्रेटर N.H. 12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:03:12 IST
Reason: SelfAttested